कार्यालय नजारत अनुभाग, जिला जजी, लखीमपुर-खीरी।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्र संख्या 3163/एडमिन (बी-1), सेक्शन, इलाहाबाद, दिनांकित 05.10.2023 के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 01.12.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक कुल चार माह की अवधि) हेतु जनपद न्यायालय लखीमपुर-खीरी परिसर में स्थित कैन्टीन संख्या 01,कैन्टीन संख्या 02,साइकिल/मोटर साइकिल स्टैण्ड,चूरा-चबेना,स्टेशनरी/फोटोस्टेट संख्या 01, स्टेशनरी /फोटोस्टेट संख्या 02 एवं फोटोस्टेट के ठेके हेतु सील बन्द निविदाएं पृथक-पृथक ठेकों हेतु दिनांक 23.11.2023 को समय 01:30 PM तक नजारत अनुभाग, जिला-जजी, लखीमपुर-खीरी में आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक 24.11.2023 को समय 04:30 PM पर नीलामी समिति के समक्ष खोली जायेंगी। ठेकों की न्यूनतम बोली निम्नवत है:-

कैन्टीन संख्या 01 के ठेके की न्यूनतम बोली मु० 1,36,680/-रुपये, कैन्टीन संख्या 02 के ठेके की न्यूनतम बोली मु० 73,615/-रुपये, साइकिल/मोटर साइकिल स्टैण्ड के ठेके की न्यूनतम बोली मु० 2,46,415/-रुपये, चूरा-चबेना ठेके की न्यूनतम बोली मु० 36,680/-रुपये, फल ठेके की न्यूनतम बोली मु० 14,385/-रुपये, स्टेशनरी/फोटोस्टेट संख्या 01 के ठेके की न्यूनतम बोली मु० 53,350/-रुपये, स्टेशनरी/फोटोस्टेट संख्या 02 के ठेके की न्यूनतम बोली मु० 38,685/-रुपये एवं फोटोस्टेट के ठेके की न्यूनतम बोली मु० 67,020/-रुपये है। निविदा फार्म नजारत अनुभाग, लखीमपुर-खीरी/ न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा की शर्तें-

1. इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त ठेकों हेतु पृथक-पृथक निविदाएं सील बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक एवं व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरी/उपनाजिर, लखीमपुर-खीरी को नियत तिथि एवं समय पर भेजे/जमा कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. सबसे उच्च मूल्य की निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदा के साथ पहचान-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
3. निविदा स्वीकार किये जाने के बाद निविदा में वर्णित धनराशि का 1/3 भाग जमा किया जाना अनिवार्य है, एवं नजारत अनुभाग में उपनाजिर के पास मु० 10,000/-रुपये मात्र कॉशन मनी के रूप में जमा कराना अनिवार्य है। तदोपरान्त ठेके/दुकान के संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। शेष धनराशि दो समान किश्तों में माह जनवरी व मार्च (प्रथम सप्ताह) में देय होगी।
4. उच्च दर की निविदा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के उपरान्त प्रभावी होगी।
5. निविदा शर्तों का अनुपालन अनुज्ञाप्ति धारक को करना अनिवार्य होगा, उसके उल्लंघन पर निविदा निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।
6. वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम दिन (31 मार्च,2024 को) दुकान खाली करना अनिवार्य होगा।
7. दुकान में विद्युत प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
8. यदि दुकान में कोई क्षति कारित की जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी अनुज्ञाप्तिधारक की होगी और उसकी क्षतिपूर्ति अनुज्ञाप्तिधारी से वसूल की जायेगी।

02/11/23

(राहुल सिंह-प्रथम) सदस्य नीलामी समिति/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), लखीमपुर-खीरी।	(सुभाष सिंह) सदस्य नीलामी समिति/ विशेष न्यायाधीश एस.सी./ एस.टी.एक्ट,लखीमपुर-खीरी।	(सुनील कुमार वर्मा) 2.11.23 अध्यक्ष नीलामी समिति/ प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर-खीरी।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. नोडल ऑफिस, कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय लखीमपुर-खीरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, लखीमपुर-खीरी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
2. जिला सूचना अधिकारी, लखीमपुर-खीरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सरकारी हित में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उसका निशुल्क प्रकाशन अधिक से अधिक दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि निम्न कार्यालयों के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतुः-

1. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय परिसर, लखीमपुर-खीरी।
2. नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट परिसर, लखीमपुर-खीरी।
3. नोटिस बोर्ड, तहसील परिसर, लखीमपुर-खीरी।
4. नोटिस बोर्ड, नगर पालिका परिषद, लखीमपुर-खीरी।
5. नोटिस बोर्ड, कोतवाली सदर, लखीमपुर-खीरी।
6. नोटिस बोर्ड, बस स्टैण्ड, लखीमपुर-खीरी।
7. नोटिस बोर्ड, विकास भवन, लखीमपुर-खीरी।
8. नोटिस बोर्ड, रेलवे स्टेशन, लखीमपुर-खीरी।
9. नोटिस बोर्ड, बार संघ, लखीमपुर-खीरी।

न्यायालय की आज्ञा से,
3/11/23
केन्द्रीय नाजिर,
जिला-जजी, खीरी।